संख्या-16/2017/3740/नौ-5-16-230बजट/16

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
बस्ती।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बस्ती में तालाब के संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण से सम्बन्धित प्रायोजना की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना के अन्तर्गत **नगर पालिका परिषद, बस्ती में वार्ड संख्या-8 राजाबाजार में निर्मली कुण्ड का जीर्णोद्धार** की कार्य योजना अनुमानित लागत **₹ 326.05 लाख (₹ तीन करोड़ छब्बीस लाख पांच हजार मात्र)** पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के राज्य सेक्टर के **नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना** से प्रथम किश्त के रूप में **संलग्न बीमए-9 के अनुसार** कुल **रूपए 163.00 लाख (रूपए एक करोड़ तिरसठ लाख मात्र)** अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य	प्रस्तावित लागत	प्रस्तावित लागत के सापेक्ष निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	बस्ती	नगर पालिका परिषद, बस्ती	वार्ड संख्या-8 राजाबाजार में निर्मली कुण्ड का जीर्णोद्धार	326.05	326.05	163.00
			योग			163.00

(रूपए एक करोड़ तिरसठ लाख मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा यथाप्रक्रिया प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/नागर निकाय का होगा।

(3) योजना मे प्रस्तावित बाट आइटम्स् का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को राकेने की दृष्टि से प्रायोजना पर कार्य से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी अन्य बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य समसय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत योजना के लिए निर्गत दिशा-निर्देशों के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-66/2016/1120/नौ-5-16-42बजट/2016, दिनांक 17.05.2016 की व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई विसंगति होने की स्थिति में शासन को सूचित किया जायेगा।

(12) कार्य की विशिष्टयों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकाय/कार्यदायी संस्था/जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा में ही पूर्ण की जायेगी।

(13) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी सस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही आगणन में प्रस्तावित महत्वपूर्ण कार्य कराये जायेंगे। यदि निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक लागत के कार्य कराये जाते हैं, तो अतिरिक्त धनराशि सम्बन्धित नागर निकाय द्वारा वहन किया जायेगा। इस हेतु पृथक् से धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत ***लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-07-नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामें डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत ***लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-07-नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"*** से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त(बीएम-9)

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-16/2017/3740(1)/नौ-5-16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, बस्ती, उत्तर प्रदेश।
3- जिलाधिकारी, बस्ती।
4- कोषाधिकारी, बस्ती।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, बस्ती।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 व 9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

बी0ए0 9 (भाग 1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर–158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम–37 नगर विकास विभाग वित्तीय वर्ष: 2016–17 (धनराशि हजार ₹ में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
"2217–शहरी विकास–80–सामान्य–191–नगर निगमों को सहायता–07–नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	125000	16300	16300	16300	108700
योग	125000	16300	16300	16300	108700

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"2217–शहरी विकास–80–सामान्य–192–नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता–07–नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	187500	203800	16300	16300	203800
योग	187500	203800	16300	16300	203800

1. **स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–**
   परिपक्व प्रस्ताव न होने के कारण बचत हो रही है।
2. **स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:–**
   नगर पालिकाओं के हेड में कम बजट व्यवस्था होने के कारण धनराशि की आवश्यकता पड रही है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या:–275/ई–8–3104/ दस–2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या–3740(1)/नौ–5–2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– जिलाधिकारी, बस्ती, उत्तर प्रदेश।
3– कोषाधिकारी, बस्ती, उत्तर प्रदेश।
4– निदेशक, नगर निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बस्ती।
6– वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–8/वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1
7– नगर विकास अनुभाग–5
8– गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-03/01/2017

प्रेषण संख्या:- 16

आवंटन आदेश संख्या:- 001-16-2017-3740-9-5-16-230B-16

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

80 - सामान्य

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता

07 - नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	बस्ती-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	16300000 16300000	16300000 16300000
	योग	वर्तमान प्रगामी	16300000 16300000	16300000 16300000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ तिरेसठ लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ तिरेसठ लाख

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी